सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 819 राँची, शनिवार

2 कार्तिक, 1937 (श०)

24 अक्टूबर, 2015 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 अक्टूबर, 2015

1. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का आदेश सं0-743, दिनांक 10 फरवरी, 2006; आदेश सं0 3428, दिनांक 29 जून, 2006; पत्रांक-3429, दिनांक 29 जून, 2006; पत्रांक 1047, दिनांक 05 जुलाई, 2012; पत्रांक-5133, दिनांक 14 जून, 2013 तथा पत्रांक 3956, दिनांक 29 अप्रैल, 2015.

2. ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड का पत्रांक 6791, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005.

3. उपायुक्त, साहेबगंज का पत्रांक 1109, दिनांक 17 अक्टूबर, 2004 तथा पत्रांक 230/स्था0, दिनांक 26 मई, 2012.

4. निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड का ज्ञापांक 8184, दिनांक 07 अगस्त, 2015.

संख्या- 5/आरोप-1-307/2014 का॰-8880-- श्रीमती इन्दु गुप्ता, झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक-774/03, गृह जिला-राँची), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, उधवा प्रखण्ड, जिला-साहेबगंज के विरूद्ध माननीय पूर्व विधायक श्री अरूण मंडल, तत्कालीन सचेतक (सत्तारूढ़ दल), झारखण्ड विधान सभा, राँची द्वारा माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को एक परिवाद पत्र, दिनांक 27 जून, 2005 समर्पित किया गया, जिसकी प्रतिलिपि विभाग को उपलब्ध करायी गयी। परिवाद-पत्र में इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप लगाये गये हैं:-

(क) कई महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाओं जैसे- इंदिरा आवास, कन्यादान योजना, जलधारा स्ट्रीम-1 एवं स्ट्रीम-2, पारा शिक्षा, ग्राम शिक्षा आदि में खुलेआम मोटी रकम लेकर सरकार के पैसा का दुरूपयोग करने संबंधी आरोप लगाये गये हैं।

(ख) पूर्व में इनके द्वारा निगरानी ब्यूरो, राँची में दिनांक 07 जुलाई, 2004 को जनता के आवेदन के आलोक में आरोप-पत्र दिया गया था, जिसका निगरानी विभाग में परिवाद पी0ई0-2/2005 की जाँच चल रही है।

(ग) विगत दो वर्षों में पाँच-छः ऐसे नये तालाबों के निर्माण के नाम पर पुराना तालाब को दिखलाकर नया प्राक्कलन राशि बिचैलियों के साठ-गाँठ से गलत भुगतान कर लाखों रूपयों का बंदरबाँट किया गया है।

परिवाद-पत्र के आलोक में विभागीय पत्रांक-1884, दिनांक 23 जुलाई, 2005 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से पत्र में निहित आरोपों की जाँच करने का अनुरोध किया गया तथा यदि आरोप प्रमाणित हो तो प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। साथ ही, विभागीय पत्रांक-1852, दिनांक 21 जुलाई, 2005 द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड से परिवाद-पत्र के आलोक में कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-6791, दिनांक 15 दिसम्बर, 2005 द्वारा श्रीमती गुप्ता द्वारा विकास कार्यों में बरती गयी अनियमितता संबंधी प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रतिवेदन के साथ उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-1109, दिनांक 17 अक्टूबर, 2004

द्वारा प्राप्त जाँच-प्रतिवेदन, श्रीमती गुप्ता का स्पष्टीकरण, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव का गैर सरकारी प्रेषण सं0-7101085, दिनांक 10 नवम्बर, 2005 तथा श्री अरूण मंडल, माननीय पूर्व विधायक, राजमहल का परिवाद पत्र संलग्न किया गया है। समीक्षोपरान्त, माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश के आलोक में श्रीमती गुप्ता को निलंबित कर इनके विरूद्ध कार्रवाई करने की विभागीय अनुशंसा संसूचित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में विभागीय आदेश सं0-743, दिनांक 10 फरवरी, 2006 द्वारा श्रीमती गुप्ता को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबित किया गया। साथ ही, उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-1109, दिनांक 17 अक्टूबर, 2004 के आलोक में उनसे श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध प्रपत्र-'क' में आरोप पत्र की माँग की गयी।

माननीय विधायक श्री थॉमस हांसदा, स0वि0स0 के अनुशंसा पत्र एवं श्री बेनी प्रसाद गुप्ता, माननीय तत्कालीन विधायक के अनुशंसा पत्र, दिनांक 20 फरवरी, 2006 के आलोक में तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा श्रीमती गुप्ता को निलंबन मुक्त करते हुए इनके विरूद्ध एक माह के अन्दर विभागीय कार्यवाही समाप्त कर संचिका उपस्थापित करने हेतु आदेश दिया गया। तद्नुसार, आदेश सं0-3428, दिनांक 29 जून, 2006 द्वारा श्रीमती गुप्ता को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया गया। इस प्रकार, श्रीमती गुप्ता दिनांक 10 फरवरी, 2006 से 28 जून, 2006 तक निलंबित रहीं। विभागीय पत्रांक-3429, दिनांक 29 जून, 2006 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज को प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने हेतु स्मारित किया गया।

उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-230/स्था0, दिनांक 26 मई, 2012 द्वारा प्रपत्र- 'क' में आरोप गठित कर साक्ष्य उपलब्ध कराया गया। प्रपत्र-'क' में इनके विरूद्ध निम्न आरोप प्रतिवेदित है:-

1. सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी निर्देशों की अवहेलना की गयी। काम के बदले अनाज योजना में काम देने हेतु श्री बंकू बिहारी मंडल, पिता- स्व0 शिवचरण

मंडल, ग्राम- राधानगर से उनके द्वारा पाँच प्रतिशत की राशि की माँग की गयी, जो सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1973 का उल्लंघन है।

2. इंदिरा आवास योजना के लाभुकों के चयन में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा चयनित लाभुकों से अवैध राशि की माँग की गयी। श्री गोपाल रजक, पिता- श्री शष्टि रजक, ग्राम एवं पोस्ट- बेगमगंज से कार्यादेश देने हेतु 3,000/- रू0, उषा देवी, पति- श्री अर्जुन स्वर्णकार, ग्राम एवं पोस्ट-बेगमगंज, थाना-राधानगर से कार्यादेश देने हेतु 3,000/- रू0, श्री सुकदेव मंडल, पिता- स्व0 धनपत मंडल, ग्राम-बेगमगंज (मीरनगर), थाना-राधानगर से 3,000/- रू0, निरंजन रविदास, पिता- श्री क्रिस्टो रविदास, ग्राम-बेगमगंज, थाना-राधानगर से 2,000/- रू0 की माँग की गयी।

3.(i) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्ट्रीम-1 एवं स्ट्रीम-2 के तहत् स्वीकृत योजना के कार्यादेश निर्गत करने हेतु अवैध राशि की माँग की गयी। उधवा प्रखण्ड के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्ट्रीम-1, योजना सं0-8/2000-01 में लाभुक समिति के अध्यक्ष श्री निरंजन मंडल एवं सचिव, श्री स्वाधीन मंडल से प्राक्कलित राशि का पाँच प्रतिशत राशि की माँग की गयी।

(ii) उधवा-राधानगर पथ में पी0सी0सी0 पथ का निर्माण योजना में श्री अर्जुन मंडल, पिता- स्व0 मोहीलाल मंडल, ग्राम-मनिहारी टोला, राधानगर से 5,000/- रू0 की माँग की गयी।

(iii) स्वास्थ्य उप केन्द्र, राधानगर के चाहरदिवारी निर्माण योजना में लाभुक समिति के अध्यक्ष, गोविन्द मंडल एवं सचिव श्री देव कुमार सिन्हा से पाँच प्रतिशत की दर से अवैध राशि की माँग की गयी एवं अवैध राशि नहीं देने पर कार्यादेश निर्गत नहीं करने की धमकी दी गयी।

(iv) देवेन घटवार के घर से राधानगर उच्च विद्यालय तक पक्की नाला निर्माण कार्य योजना में अंतिम राशि भुगतान के पूर्व श्री उदय मंडल, पिता- स्व0 अतुलचंद्र मंडल, ग्राम- राधानगर से 25,000/- रू0 की माँग की गयी।

4. पारा शिक्षकों के चयन में अभ्यर्थियों से चयन हेतु अवैध राशि की माँग की गयी तथा राशि नहीं देने पर दूसरे अभ्यर्थी का चयन किया गया। श्री आशीष कुमार सिंह, पिता-स्व0 अश्वनी सिंह, ग्राम$पो0- बेगमगंज, थाना-राधानगर से 3,000/- रू0 एवं श्री विजेन्द्र नाथ मंडल, पिता- स्व0 रामजीवन मंडल, ग्राम$पो0- बेगमगंज, थाना-राधानगर से 7,000/- रू0 की माँग की गयी।

प्रपत्र-'क' में प्राप्त आरोपों के लिये श्रीमती गुप्ता से पत्रांक-1047, दिनांक 5 जुलाई, 2012 से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। इसके अनुपालन में श्रीमती गुप्ता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, दिनांक 17 जुलाई, 2012 में निम्नवत् तथ्य समर्पित किये गये हैं:-

आरोप सं0-1. सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में सरकारी निर्देशों एवं उच्चाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है। काम के बदले अनाज योजना का क्रियान्वयन उस समय प्रखण्ड के माध्यम से उधवा प्रखण्ड में नहीं होता था। जिला स्तर से इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल एवं NREP के माध्यम से कराया जाता था और इन एजेंसियों के द्वारा ही योजना का चयन किया जाता था। इसलिए श्री बंकू बिहारी मंडल से इस योजना हेतु 5% माँगने का आरोप निराधार है।

आरोप सं0-2. इंदिरा आवास के चयन में सरकारी निर्देशों का पालन किया गया है। लाभुकों का चयन ग्राम सभा के माध्यम से पंचायत सेवक एवं पर्यवेक्षक की उपस्थिति में की जाती थी और चयनित लाभुकों की जाँच पुनः पर्यवेक्षक से किया जाता था। पर्यवेक्षक के जाँचोपरांत उनके अनुशंसा पर जिन BPL धारियों का आवास टूटा-फूटा होता, उनका चयन किया जाता था। वैसे व्यक्तियों, जिनका घर टूटा-फूटा होता था, लेकिन BPL में नाम नहीं होता था, के चयन हेतु उच्चाधिकारी को स्वीकृति के लिए भेजा जाता था। स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् आगे की कार्रवाई की जाती थी।

श्री गोपाल रजक, उषा देवी, श्री सुकदेव मंडल एवं श्री निरंजन रविदास द्वारा कार्यादेश दिये जाने हेतु राशि की माँग किये जाने का आरोप झूठा है। श्री गोपाल रजक, उषा देवी, श्री सुकदेव मंडल एवं श्री निरंजन रविदास का शपथ-पत्र एवं लिखित आवेदन संलग्न

करते हुए श्रीमती गुप्ता का कहना है कि यह सब षड्यंत्र माननीय विधायक श्री अरूण मंडल द्वारा उन्हें फँसाने के लिये किया गया है। उन्होंने क्रमशः 28 नवम्बर, 2005, 23 अगस्त, 2005 एवं 22 अगस्त, 2005 को दिये गये शपथ पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया है कि तत्कालीन माननीय विधायक श्री अरूण मंडल द्वारा सादे कागज पर हस्ताक्षर ले लिया गया था और उसी कागज पर झूठा शपथ-पत्र बनाकर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के खिलाफ शपथ-पत्र तैयार करवाया गया था। शपथ-पत्र में लिखे गये तथ्यों से शपथकर्ता अनभिज्ञ थे। इसके आधार पर उनका कहना है कि लगाया गया आरोप असत्य एवं गलत साक्ष्य पर आधारित है।

आरोप सं0-3.(i) श्रीमती गुप्ता का कहना है कि उधवा प्रखण्ड में दिनांक 15 जुलाई, 2003 को उनके द्वारा योगदान किया गया है और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना स्ट्रीम-1 की योजना सं0-8/2000-01 वर्ष 2000-01 की है। इसलिए लाभुक समिति के अध्यक्ष श्री निरंजन मंडल से अवैध राशि की माँग करने का आरोप निराधार है।

(ii) उधवा से राधानगर REO पथ में ग्राम मनिहारी टोला के गोहाल बाड़ी मस्जिद से कालीस्थान तक PCC कार्य हेतु योजना स्वीकृत हुआ था। लेकिन तत्कालीन माननीय विधायक श्री अरूण मंडल द्वारा कालीस्थान से ऊपर का भाग, जो प्रस्तावित योजना स्थल से थोड़ा ऊँचा था, उसके निर्माण के लिए ग्राम सभा अपनी देखरेख में करवा कर अपने ही कार्यकर्ता श्री अर्जुन मंडल, साकिन- मनिहारी टोला को अध्यक्ष एवं श्री दिनेश मंडल साकिन-मनिहारी टोला को सचिव चयनित करवा दिये। इसके विरोध में सैदुल शेख एवं अन्य ग्रामीण द्वारा शिकायत उप विकास आयुक्त, साहेबगंज को की गयी, जिसके आलोक में मामले की जाँच अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल से कराई गई। अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन ज्ञापांक-1126/गो0, दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 में उल्लेख किया गया है कि माननीय विधायक द्वारा आम सभा में अपने व्यक्तियों को लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से तथा भविष्य में होने वाली विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखने के उद्देश्य से ग्राम-गोहालबाड़ी से कालीस्थान तक पथ निर्माण में ग्रामीणों को आम सभा में भाग नहीं लेने दिया गया। अगर वर्तमान में गठित आम सभा के अनुसार कालीस्थान के बाद से PCC

पथ का कार्य कराया जाता है तो कालीस्थान के बाद का सड़क पहले से भी ऊँचा हो जायेगा, जबकि गोहालबाड़ी मस्जिद से कालीस्थान के पथ की स्थिति बरसात के दिनों में ज्यादा बदतर हो जायेगी।

अनुमंडल पदाधिकारी, राजमहल द्वारा दिनांक 17 अक्टूबर, 2004 को आयोजित आम सभा को रद्द कर गोहालबाड़ी मस्जिद से कालीस्थान तक के कार्य हेतु नये सिरे से आम सभा कराने का निदेश दिया गया। इसके आलोक में दिनांक 17 अक्टूबर, 2004 को आयोजित आम सभा, जिसमें अर्जुन मंडल को अध्यक्ष चयनित किया गया था, रद्द कर दिया गया और नये सिरे से आम सभा कराया गया, जिसमें श्री अर्जुन मंडल का चुनाव नहीं हुआ। इसके कारण इनके साथ एकरारनामा नहीं किया गया। इसलिए श्री अर्जुन मंडल से अवैध राशि माँगने का आरोप असत्य है।

(iii) स्वास्थ्य उपकेन्द्र, राधानगर के चाहरदीवारी निर्माण एवं मिट्टी भराई के पूर्व दो योजना स्ट्रीम-2 के अंतर्गत ग्रामसभा से पारित थी तथा माननीय विधायक के मौखिक आदेशानुसार अभिलेख खोलकर प्राक्कलन गठित करने हेतु कनीय अभियंता को भेजा गया था, लेकिन इस बीच तत्कालीन माननीय विधायक श्री अरूण मंडल द्वारा कहा गया कि चूँकि इस स्वास्थ्य उपकेन्द्र को उत्क्रमित कर अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र बनाना है, इसलिए मैं दोनों ही योजना अपने विधायक निधि से करवाना चाहता हूँ। स्ट्रीम-2 के अंतर्गत उक्त योजना को नहीं लेने हेतु कहा गया, क्योंकि स्ट्रीम-2 के अंतर्गत एक लाख से नीचे का कार्य ही हो पायेगा, जबकि इस स्वास्थ्य केंद्र को अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उत्क्रमित कर दिया गया है, जिससे मिट्टी भराई एवं चाहरदीवारी निर्माण में अधिक राशि लगेगी। इसी के अनुपालन में माननीय विधायक द्वारा अपने विधायक निधि से मिट्टी भराई हेतु रू0 2,45,000/- की अनुशंसा की गयी एवं चाहरदीवारी निर्माण के लिये बाद में अनुशंसा करने हेतु कहा गया।

चूँकि तत्कालीन माननीय विधायक श्री अरूण मंडल स्वास्थ्य उपकेन्द्र के चाहरदीवारी का निर्माण अपने विधायक निधि से कराना चाहते थे, इसलिए स्ट्रीम-2 के अंतर्गत राधानगर

स्वास्थ्य कंेद्र के चाहरदीवारी निर्माण का कार्य नहीं कराया गया। इसलिए इस योजना में अवैध राशि माँगने का आरोप निराधार है।

(iv) देवेन घटवार के घर से राधानगर उच्च विद्यालय तक पक्का नाला निर्माण कार्य योजना में सामग्री से संबंधित अभिश्रव अभिकत्र्ता द्वारा दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 को कार्यालय में उपलब्ध कराया गया था और उसी दिन विपत्र पारित कर भुगतान किया गया था। इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 24 जुलाई, 2005 को अवैध राशि माँगने का दिया गया शपथपत्र झूठा है। इनसे किसी भी प्रकार के राशि की माँग नहीं की गयी थी।

आरोप सं0-4. श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में श्रीमती गुप्ता का कहना है कि ग्राम शिक्षा केंद्र, सिंह टोला, बेगम गंज में पारा शिक्षक के चयन हेतु दिनांक-09 नवम्बर, 2003 को आम सभा आयोजित की गयी थी, जिसमें छः अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन दिया गया था। आरोपकर्ता की शैक्षणिक योग्यता मात्र मैट्रिक थी। इसलिए उनका चयन नहीं कर श्री अशोक कुमार सिन्हा, जिनकी शैक्षणिक योग्यता B.A. थी, को चयनित किया गया। इसलिए श्री आशीष कुमार सिंह द्वारा लगाया गया आरोप झूठा है।

श्री द्विजेन्द्र नाथ मंडल के द्वारा लगाये गये आरोप के संबंध में कहा गया है कि मध्य विद्यालय बेगमगंज में पारा शिक्षक के चयन हेतु दिनांक 09 नवम्बर, 2003 को आम सभा की गयी थी, जिसमें 34 आवेदकों द्वारा आवेदन किया गया था। लेकिन शिकायतकर्ता श्री द्विजेन्द्र नाथ मंडल के द्वारा आवेदन नहीं दिया गया था। इसलिए अवैध राशि माँगने का इनका आरोप झूठा है।

विभागीय पत्रांक-9916, दिनांक 28 अगस्त, 2012 द्वारा उपायुक्त, साहेबगंज से श्रीमती गुप्ता के स्पष्टीकरण पर मंतव्य की माँग की गयी। उपायुक्त, साहेबगंज के पत्रांक-228/स्था0, दिनांक 17 मई, 2013 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जो निम्नवत् है-

1. श्रीमती इन्दु गुप्ता के विरूद्ध भेजे गये आरोप-पत्र कार्यालय में वर्ष 2005 में प्राप्त शपथपत्र पर आधारित है। वर्तमान में इसकी जाँच कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

श्रीमती गुप्ता द्वारा अपने स्पष्टीकरण में भी कई व्यक्तियों का शपथ पत्र संलग्न किया गया है, जिसमें इन आरोपों को गलत ठहराया गया है। अतः आरोप सं0-1 की सत्यता जाँच में प्रमाणित नहीं होती है।

2. आरोप सं0-2 के संबंध में जाँच के क्रम में यह बात सामने आई कि श्री गोपाल रजक, श्रीमती उषा देवी, श्री सुकदेव मंडल एवं श्री निरंजन रविदास द्वारा तैयार किये गये शपथ पत्र में यह स्वीकार किया गया है कि तत्कालीन प्र0वि0पदा0, श्रीमती गुप्ता द्वारा किसी प्रकार की राशि की माँग नहीं की गयी है। वर्तमान में संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ करने पर उनके द्वारा इस संबंध में अनभिज्ञता जाहिर की गयी एवं यह बताया गया कि पूर्व में श्रीमती गुप्ता प्र0वि0पदा0, उधवा के विरूद्ध इस प्रकार की लिखा-पढ़ी की गयी थी। परन्तु इनके द्वारा भी श्रीमती गुप्ता द्वारा पैसा माँगने की बात को सही नहीं बताया गया। इसलिए इस आरोप की सत्यता प्रमाणित नहीं होती है।

3. संबंधित आरोपकर्ता से पूछताछ के क्रम में आरोपकर्ता द्वारा इस संबंध में कुछ भी कहने में असमर्थता व्यक्त किया गया एवं बताया गया कि श्रीमती इन्दु गुप्ता, तत्कालीन प्र0वि0पदा0, उधवा के कार्यकाल के दौरान स्थानीय जन प्रतिनिधियों एवं प्र0वि0पदा0 के बीच योजना के कार्य स्थल को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ था, परन्तु इनके द्वारा किसी प्रकार की राशि की माँग किये जाने की पुष्टि नहीं की गयी। इसलिए श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध यह आरोप भी उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर प्रमाणित नहीं होता है।

4. आरोप सं0-4 के संबंध में उपलब्ध साक्ष्यों एवं पूछताछ के आधार पर इस आरोप की भी पुष्टि नहीं हुई है।

उपायुक्त, साहेबगंज द्वारा श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोप को अप्रमाणित मानते हुए इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार करने की अनुशंसा की गयी।

श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध आरोप, इनके स्पष्टीकरण तथा उपायुक्त, साहेबगंज के मंतव्य प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत, विषयगत मामले में निर्णय लेने के पूर्व विभागीय पत्रांक-5133, दिनांक 14 जून, 2013 द्वारा मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, झारखण्ड से

इनके विरूद्ध लंबित जाँच पी0ई0 सं0-2/05 के फलाफल से अवगत कराने हेतु अनुरोध किया गया एवं इसके लिए कई बार स्मारित भी किया गया। इसी क्रम में विभागीय पत्रांक-3956, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा सीधे निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड से भी वांछित प्रतिवेदन हेतु अनुरोध किया गया। निगरानी ब्यूरो, झारखण्ड के ज्ञापांक-8184, दिनांक 7 अगस्त, 2015 द्वारा सूचित किया गया कि कांड संख्या-पी0ई0-02/05, दिनांक 7 फरवरी, 2005 में परिवादी द्वारा श्रीमती गुप्ता के विरूद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होने के कारण इसे संचिकास्त कर दिया गया है।

समीक्षोपरांत, श्रीमती इन्दु गुप्ता, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकरी, उधवा, साहेबगंज के विरूद्ध विषयगत मामले को संचिकास्त किया जाता है तथा इनकी निलंबन अवधि दिनांक 10 फरवरी, 2006 से दिनांक 28 जून, 2006 को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-97 के तहत् कर्त्तव्य पर बिताई गयी अवधि के रूप में विनियमित किया जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्रीमती इंदु गुप्ता, झा0प्र0से0 एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

दिलीप तिर्की,

सरकार के उप सचिव ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 819—50 ।